न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 67 / 2022 (RCMS : 2022/102)

1. **शैलेन्द्र नाथ** पुत्र विरेन्द्रनाथ जाति ब्राह्मण वार्ड नम्बर 6, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर 2. **राजेश वामल** पुत्र गुरबचनचन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नम्बर 6, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर — — — **प्रार्थी**

बनाम

1. **धर्मवीर(रिटायर्ड हैडमास्टर)** पुत्र प्रकाशचन्द जाति ब्राह्मण निवासी पण्डित जयदयाल स्ट्रीट गांधी चौक के पास, मुक्तसर तहसील व जिला मुक्तसर (पंजाब) 2. **अनुराधा शर्मा** पत्नी कृष्ण कुमार जाति ब्राह्मण निवासी प्लाट नम्बर एच 179, 180 मालवीय औद्योगिक क्षेत्र फेज संख्या–2 जयपुर 3. **अमन कुमार शर्मा** पुत्र कृष्ण कुमार जाति ब्राह्मण निवासी प्लाट नम्बर एच 179, 180 मालवीय औद्योगिक क्षेत्र फेज संख्या–2 जयपुर 4. **सूरज शर्मा** पुत्र कृष्ण कुमार जाति ब्राह्मण निवासी प्लाट नम्बर एच 179, 180 मालवीय औद्योगिक क्षेत्र फेज संख्या–2 जयपुर 5. **गौतम कौशल** पुत्र रमेश चन्द जाति ब्राह्मण निवासी जरिये मुखत्यारे आम डॉ. देवेन्द्र शारदा बी.डी.एस.समाणा मण्डी जिला पटियाला पंजाब 6. **राजपाल** पुत्र वीरेन्द्रनाथ जाति ब्राह्मण, निवासी वार्ड नम्बर 6 श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर 7. **शक्तिपाल** पुत्र वीरेन्द्र नाथ जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नम्बर 6, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर 8. **उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर** जिला श्रीगंगानगर

— — — **अप्रार्थीगण**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

16.01.2023

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री मोहन लाल माहर उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर के समक्ष दिनांक 18.08.2017 को अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण की कृषि भूमि वाके चक 12–ओ के मुरब्बा नम्बर 9 के किला नम्बर 19, 20, 21, 22, 23 के मुरब्बा नम्बर 10 मे स्कूल, जीएलआर पानी की डिग्गी तथा मुरब्बा नम्बर 9 इसी चक के मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 तथा मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 5, 6, 15 व मुरब्बा नम्बर 9 के किला नम्बर 21 में 2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जावे, जो गत कई वर्षों से मौके पर चल रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.02.14 15:13:43 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

प्रार्थी के अधिवक्ता का आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी संख्या 5 ने प्रार्थना पत्र विरोध करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि मौके पर कोई रास्ता नहीं, बल्कि प्रार्थीगण के पास वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है और उल्लेखित किया है कि **माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में वाद की अपील जैरकार है जिसमें स्थगन आदेश है।**

प्रार्थी के अधिवक्ता का आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी संख्या 5 को छोड़कर शेष उभयपक्ष के पक्षकार के बीच दिनांक 08.07.2019 को राजीनामा हो गया है और अनुपातिक हिस्सानुसार रास्ते की भूमि के क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान भी प्राप्त कर लिया। राजीनामा के उपरान्त भी अप्रार्थी संख्या 5 जवाब/बहस नहीं कर रहे है।

प्रार्थी के अधिवक्ता का आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी संख्या 5 ने महज तकनीकी बिन्दु पर संक्षिप्त कार्यवाही को लम्बा किया जा रहा है जबकि प्रस्तावित कृषि भूमि के मुरब्बा संख्या 10 के मुश्र्तका खाता में किला नम्बर 5–6–15 स्थित है जिसके अन्य समस्त खातेदारों ने क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त कर ली है तथा माननीय उच्च न्यायालय के किसी भी निर्णय से मौजुदा प्रकरण प्रभावित नहीं होगा।

प्रार्थी के अधिवक्ता का आगे यह भी कथन है कि उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर पर कोई आक्षेप नहीं है किन्तु पीठासीन अधिकारी द्वारा कानून की मन्शा के विपरीत प्रकरण को अनावश्यक देरी किया जा रहा है इसलिए उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर के [illegible] बनाम धर्मवीर आदि प्रकरण संख्या 21/17 को किसी अन्य सक्षम न्यायालय [illegible] मुन्तकिल किये जाने की प्रार्थना की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.02.14 15:13:43 IST
Reason: SelfAttested

मैंने, अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त टिप्पणी दिनांक 20.06.2022 एवं पत्रावली का अवलोकन किया और प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तो पाया

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

कि प्रार्थीगण शैलेन्द्र नाथ व राकेश वामल ने अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण शैलेन्द्रनाथ वगै. बनाम धर्मवीर वगै. अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अन्यत्र मुंतकिल के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी में द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन करते हुए, उनके न्यायालय में लम्बित उक्त प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुंतकिल करने हेतु कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। इस न्यायालय को उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण के गुण दोष पर विचार नहीं करना है, अपितु इस न्यायालय को यह देखना है कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थी को निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना है अथवा नही,?

प्रार्थी शैलेन्द्रनाथ वगै. द्वारा यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र इस आधार पर पेश किया गया है कि अप्रार्थी संख्या 5 ने प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि मौके पर कोई रास्ता नहीं बल्कि प्रार्थीगण के पास वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है। साथ ही अप्रार्थी संख्या 5 उनके प्रकरण में अन्तिम बहस नहीं कर है तथा प्रकरण में दिनांक 09.07.2019 को राजीनाम (अप्रार्थी संख्या 5 को छोड़कर) प्रेषित किया है, जिसकी एवज में अप्रार्थी संख्या 5 को छोड़कर शेष अप्रार्थीगण ने क्षति पूर्ति राशि प्राप्त कर ली है। प्रार्थीगण ने उक्त समस्त आक्षेप पीठासीन अधिकारी पर न लगाकर अप्रार्थी संख्या 5 पर लगाये है। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण की समस्त शिकायत अप्रार्थी संख्या 5 से है, न की पीठासीन अधिकारी से।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.02.14 15:13:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण के सम्बन्ध में पीठासीन अधिकारी ने अपने निवेदन में अंकित किया है कि "**बिन्दु संख्या 3 में अंकित तथ्य राजीनामा होने से स्वीकार है, परन्तु प्रकरण में वर्णित भूमि पर माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन है।**" माननीय उच्च न्यायालय का

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

स्थगन होने के कारण पीठासीन अधिकारी प्रार्थी के प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं कर रहे है, जिसमें कुछ भी गलत नहीं है। मुकद्दमा मुंतकिली का कोई ठोस आधार होना चाहिए। प्रार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारी पर कोई आक्षेप नहीं लगाए है बल्कि पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण देरी करने का आरोप लगाया है। पत्रावली में उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर के प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन होने के कारण पीठासीन अधिकारी प्रार्थी के प्रकरण में निर्णय नहीं कर रहे है।

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र फौरी कारणों से मात्र कयास के आधार पर निर्णित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे न्यायिक व्यवस्था में व्यवधान पैदा होता है एवं पीठासीन अधिकारी की साख में कमी आती है। किसी पक्षकार की आशंका मात्र से यदि प्रकरण मुन्तकिल किया जावे तो अदालतों की विश्वसनीयता पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है, जो न्याय हित में उचित नहीं कहा जा सकता। बिना ठोस आधार के प्रकरण को एक अदालत से दूसरी अदालत में मुन्तकिल नहीं किया जा सकता। उपरोक्त समस्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र में किसी प्रकार का कोई बल नहीं होने के कारण इसे खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। न्यायहित में अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि **यदि किसी उच्च न्यायालय का कोई स्थगन न हो तो, दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए** विचाराधीन प्रकरण में विधि सम्मत निर्णय पारित करना सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर को भिजवाई जाये। पत्रावली बाद तरतीब तहसील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.02.14 15:13:43 IST
Reason: SelfAttested

यह आदेश आज दिनांक 16.01.2[illegible] को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सौरभ स्वामी)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर